

7  
मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा जिला, चित्तौड़गढ़  
(पीठारसीन अधिकारी - विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 140/2011 वाद  
GCMS No. - 2011/00087

1. भैरूलाल पुत्र लाला जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
2. अम्बालाल पुत्र लाला जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
3. शम्भूलाल पुत्र किशनलाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
4. रतनलाल पुत्र किशनलाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
5. बाबुलाल पुत्र किशनलाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0 मृतक के वजाय:-
  - 5/1. कृष्णा पुत्री बाबुलाल जी आयु 14 वर्ष जरिये सरपरस्त माता लेहरीबाई बेवा बाबुलाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
  - 5/2. ममता पुत्र बाबुलाल जी आयु 16 वर्ष जरिये सरपरस्त माता लेहरीबाई बेवा बाबुलाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
  - 5/3. देउ पुत्री बाबुलाल जी जाति गुर्जर आयु 22 वर्ष निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
  - 5/4. लेहरीबाई बेवा बाबुलाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
6. अण्छीबाई पुत्री भँवरलाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
7. सागर पुत्र भँवरलाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
8. पपु पुत्र भँवरलाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0

.....वादीगण

बनाम

1. लखीचन्द पुत्र नारु जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
2. रतनलाल पुत्र नारु जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
3. सोहनीबाई पुत्री नारु जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
4. उदीबाई पुत्री नारु जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
5. कमलीबाई पुत्री नारु जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0निम्बाहेडा राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0


.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 88,188 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण आज दिनांक को वादीगण के अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि मोजा रावलिया पह0 भावलिया की पुराना खाता सं0 148 की आराजी नं0 56 रकबा 9 बिघा 19 बिस्वा जिसका नवीन खसरा से मिलान किया जाकर उक्त आराजी में से 2 बिघा 19 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है तथा शेष रकबा 7 बिघा बदस्तुर प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज रखायी जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जेशुदा आराजियात में जबरन कब्जा न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावे न ही किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेय, बक्षीश न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें तथा वादीगण को शांति पूर्ण काश्त करने देवे। इसी अनुसार वादीगण का वाद निर्णित किया जाकर तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है वादग्रस्त आराजियात वाके मोजा रावलिया पटवार हल्का भावलिया के आराजी नं0 56 रकबा 9 बिघा 19 बिस्वा आराजी में से 2 बिघा 19 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें व इसी अनुसार साबिक आराजी नम्बर का नये आराजी नम्बर से मिलान कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। एवं शेष 7 बिघा जमीन प्रतिवादीगण के नाम बदस्तुर रखाई जावे। बैंक रहन होने की स्थिति में संबंधित पक्षकार के नाम दर्ज रहे। निर्णय अनुसार पृथक से डिक्री मूर्तिब हो और पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 01.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया



  
(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेडा  
सहायक कलक्टर